न्यायालय सिविल जज (जू0डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट मोंठ झांसी

विविध वाद–12/2023

भंवर सिंह आदि **बनाम** **सीताराम आदि**

दिनांक–27.05.2026

पत्रावली पेश हुई। वादी द्वारा इस आशय का प्रार्थना पत्र 3सी2 अन्तर्गत धारा 9 नियम 4 सी.पी.सी. समठित धारा 151 जा0 दी0 प्रस्तुत किया गया है कि मूलवाद संख्या 96/2017 भंवर सिंह आदि बनाम सीताराम आदि में दिनांक 23.03.2023 को तारीख नियत थी। प्रार्थी व उसके अधिवक्ता नियत तिथि को उपस्थित नहीं आ सका था, जिस कारण उक्त मूलवाद उभय पक्ष की अनुपस्थिति में खारिज कर दिया गया है। उक्त वाद के खारिज होते ही प्रार्थी ने पुर्नस्थापना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया है। इन आधारों पर आदेश दिनांकित 23.03.2023 को अपास्त कर पुनः मूलवाद को मूल नम्बर पर कायम किये जाने की याचना की गयी है।

प्रतिवादीगण को पर्याप्त अवसर दिये जाने के बाद भी प्रतिवादीगण की ओर से कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गयी है।

सुना तथा पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया।

पत्रावली तथा मूलवाद के आदेश दिनांकित 23.03.2023 के अवलोकन से विदित है कि मूल वाद संख्या 96/2007 दिनांक 23.03.2023 को उभय पक्ष की अनुपस्थिति में अधोहस्ताक्षरी न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था। वादीगण मुकदमा लड़ना चाहता है तथा अपने मुकदमे में गुण दोष के आधार पर निस्तारण चाहता है। उक्त प्रार्थना पत्र विलंब से प्रस्तुत नहीं किया गया है। समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 4 समठित धारा 151 जा0 दी0 स्वीकार किया जाता है। मूलवाद संख्या 96/2007 में पारित आदेश दिनांकित 23.03.2023 को अपास्त किया जाता है। मूलवाद संख्या 96/2007 की पत्रावली अपने मूल नम्बर पर कायम करते हुये दिनांक 17.07.2026 नियत की जाये। विविध वाद संख्या 12/2023 तदनुसार निस्तारित किया जाता है।

(शुभम चौधरी)
सिविल जज (जू0डि0),
मोंठ झांसी
जे.ओ.कोड 3567